—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव
राजस्व प्रकरण संख्या :— 28 / 2024

उनवान

1. कमला पुत्री मंगला,
2. छोटू सिंह पुत्र मंगला
3. भगवान सिंह पुत्र रतन सिंह
4. मोहन सिंह पुत्र मंगला समस्त जाति रावत निवासी ग्राम फारकिया, नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :— जरियें अधिवकता श्री कैलाश बीजावत

बनाम

1. चमन पुत्र छोटू सिंह जाति रावत निवासी ग्राम फारकिया, नसीराबाद
2. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

——— अप्रार्थीगण :— 1 अनुपस्थित, 2 जरियें राज. पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: आदेश :— दिनांक :— 17/9/24

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उत आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम फारकिया, तहसील नसीराबद के हाल खसरा नम्बर 109 / 3352 रकबा 0.29 की आराजी प्रार्थीगण की सह खातेदारी की है। उक्त आराजी पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त आराजी पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य अनावश्यक विवाद है। आराजी मुतनाजा पर इप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बिना किसी हक व अधिकार के दखलदांजी की जा रही है। आराजी मुतनाजा की सीमा की वास्तविक व सही स्थिति की जानकारी हेतु प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार नसीराबाद के समक्ष सीमाज्ञान का अवेदन पेश किया, जिस पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 17.05.23 को सीमाज्ञ्ज्ञन किया गया, उसके उपरान्त भी अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त आराजी पर दखलदांजी की जा रही है। अतः प्रार्थीगण द्वारा आराजी मुतनाजा की पत्थरगढी हेतु उक्त आवेदन पत्र पेश किया जा रहा है। अतः पत्थरगढी के आदेश पारित करने की कृपा करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहा। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:30:39 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। आराजी मुतनाजा प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा उकत आराजी के सीमाज्ञान हेतु आवेदन पत्र पेश किया, जिस पर नायब तहसीलदार श्री [illegible] द्वारा सीमाज्ञान के लिये राजस्व कार्मिको की टीम गठित की गयी। उक्त टीम द्वारा दिनांक 17.05.23 को आराजी मुतनाजा का सीमाज्ञान किया गया। किन्तु मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व पडौसी खातेदार ने उक्त सीमाज्ञान से असंतुष्टि जाहिर की। उक्तानुसार स्पष्ट है कि प्रार्थीगण व

——2

अप्रार्थी के मध्य सीमा का विवाद है। अप्रार्थी संख्या 1 ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र का खण्डन नही किया है। उक्त आराजी की पत्थरगढी होने से अप्रार्थी संख्या 1 के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। अप्रार्थी संख्या 1 अपनी आपत्ति पत्थरगढी के समय भी पेश कर सकता है। प्रार्थीगण पत्थरगढी करवाने के अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम फारकिया, तहसील नसीराबाद के हाल खसरा नम्बर 109/3352 रकबा 0.29 की आराजी पर प्रार्थीगण का प्रार्िना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उभयपक्ष की विधिवत उपस्थिति में आराजी मुतनाजा की पत्थरगढी की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:30:39 IST
Reason: SelfAttested